144 लाभ अर्जित करने वाले उद्यमों (मिनी रत्न) के लिए वित्तीय और प्रचालन सम्बन्धी स्वायत्तता – कार्य निष्पादन की मॉनीटरिंग़

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के तारीख 9 अक्टूबर, 1997 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का उल्लेख करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 3 के अनुसार अंतर–मंत्रालयीन विचार–विमर्श के लिए और मिनी रत्न के रूप में लोक उद्यमों की श्रेणियों के कार्य–निष्पादन पर निरन्तर नजर रखने के लिए फोरम के रूप में कार्य करने के लिए सचिव, लोक उद्यम, सचिव, व्यय, सचिव, योजना आयोग और प्रशासनिक सचिव (अथवा कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के उनके प्रतिनिधि) की सदस्यता वाले समूह का गठन करने के लिए सरकारी निर्णय के संबंध में प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को सूचित किया गया था। यह समूह लोक उद्यमों की कार्यनीतिक आयोजना एवं लक्ष्यों पर ध्यान रखेगा तथा उनके निष्पादन की आवधिक रूप से समीक्षा करेगा।

उपर्युक्त निर्णय के अनुसरण में अनुरोध है कि मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक प्रभार के अधीन मिनीरत्न उद्यमों के बोर्ड का पुनर्गठन और गैर–सरकारी अंशकालिक प्रोफेशनल निदेशकों की नियुक्ति करते ही लोक उद्यम विभाग को इस संबंध में सूचित किया जाए ताकि ऐसे उद्यमों के कार्य– निष्पादन की मॉनिटरिंग के लिए सचिवों या उपर्युक्त सचिव स्तर के उनके प्रतिनिधियों के समूह का गठन किया जा सके।

(लो.उ.वि. का.ज्ञा.सं. लो.उ.वि./11/36/97–वित्त (मिनी) जी.III, दिनांकः 2 दिसम्बर 1998)